

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर,

UPSD010008492026



Bail Application/351/2026

मिथुन पुत्र स्व० छेदी, साकिन-नेवादा, थाना सादुल्लानगर, जनपद बलरामपुर,

----प्रार्थी/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

----विपक्षी/आपत्तिकर्ता।

मुकदमा अपराध संख्या-233/2025  
धारा-115(2), 352, 351(3), 110,  
105 बी०एन०एस०  
थाना-इटवा, जनपद-सिद्धार्थनगर।

जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण

- 1- प्रार्थी/अभियुक्त मिथुन द्वारा मु०अ०सं०-233/2025, अन्तर्गत धारा-115(2), 352, 351(3), 110, 105 बी०एन०एस०, थाना इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर के सम्बन्ध में प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी०एन०एस०एस० जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हुए जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।
- 2- अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा पुजारी पुत्र स्व० बरसाती, निवासी ग्राम मनिकौरा, थाना इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर के द्वारा दिनांक 21.12.2025 को समय 17:30 बजे सम्बन्धित थाने में इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 20/12/2025 को समय करीब 3.00 बजे दिन में रगड़गंज चौराहे पर बात-बात में मिथुन पुत्र स्व० छेदी, रीता देवी पत्नी मिथुन ग्राम नेवादा थाना सादुल्लाह नगर जनपद बलरामपुर ने वादी के बेटे पांचू को भट्टी-भट्टी गाली-गुप्ता देते हुए बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे वादी के बेटे पांचू को गम्भीर चोटें आयी हैं तथा जान से मार डालने की धमकी दे रहे थे। वादी के बेटे पांचू का दवा इलाज गोरखपुर चल रहा है। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर में मु०अ०सं०-233/2025 अन्तर्गत धारा-115(2), 352, 351(2) बी०एन०एस० के अन्तर्गत अभियुक्त मिथुन व सहअभियुक्ता रीता देवी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया।
- 3- प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष एवं बेगुनाह है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन विलम्ब से है जिसका स्पष्टीकरण, अभियोजन द्वारा नहीं किया गया है। प्रार्थी दिनांक 25.12.2025 से जेल में निरूद्ध है। उक्त मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० में पंजीकृत था। दौरान विवेचना धारा 110, 105 बी०एन०एस० की बढोत्तरी की गयी है। मृतक की मृत्यु प्रार्थी द्वारा मारने पीटने से नहीं हुई तथा मृतक के शरीर पर सिंगल चोट पाई गयी है। प्रार्थी के पास से कोई रिकवरी नहीं मिली है। उक्त मामले में विवेचना होकर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित है। मामला कमिट होकर सत्र न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिये प्रार्थी सीधे तौर पर जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है न ही निस्तारित है। अतः उक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।
- 4- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा अपराध को गम्भीर बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।
- 5- मेरे द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) के तर्कों को सुना गया तथा सम्बन्धित पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने की आख्या व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

6- अभियोजन के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा सह-अभियुक्ता के साथ मिलकर बात-बात में वादी के बेटे पांचू को भद्दी-भद्दी गाली-गुमा देते हुए बुरी तरह से मारा पीटा गया, जिससे वादी के बेटे पांचू को गंभीर चोटें आयी तथा जान से मार डालने की धमकी भी दी गयी। तत्पश्चात चोटहिल पांचू को घटना में आयी चोटों के चिकित्सीय परीक्षण हेतु उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटवा ले जाया गया जहाँ पर चोटहिल के प्राथमिक उपचार के पश्चात चोटों की स्थिति को देखते हुए चिकित्सक के द्वारा उसे जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर रेफर कर दिया गया। तत्पश्चात जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर से चोटहिल को मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। जहाँ पर चोटहिल की दौरान इलाज दिनांक 23.12.2025 को मृत्यु हो गयी। मृतक के शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के मृत्यु का तात्कालिक कारण Coma, Due to Antemortem injuries (Head injuries) से होना उल्लिखित है। तत्पश्चात मामले में दौरान विवेचना धारा 110 व 105 बी०एन०एस० की बढोत्तरी की गयी। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। विवेचक ने विवेचना के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त व एक अन्य सह-अभियुक्ता के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। मामला गंभीर व जघन्य प्रकृति के अपराधों सदोष मानव वध आदि से सम्बन्धित है।

7- मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा केस के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्ति किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त मिथुन को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है तथा प्रार्थी/अभियुक्त मिथुन का जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

#### आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त मिथुन का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 16.03.2026

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,  
सिद्धार्थनगर।